

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 596]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर 2020 — कार्तिक 27, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 नवम्बर 2020

क्रमांक 8750/डी. 164/21-अ/प्रारू./छ. ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31-10-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 23 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|-------------------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | <p>(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 कहलायेगा.</p> <p>(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.</p> <p>(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.</p> |
| धारा 6 का संशोधन. | 2. | <p>छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) में, धारा 6 में, -</p> <p>(एक) उप-धारा (2) एवं (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-</p> <p>“(2) राज्य शासन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा.</p> <p>(3) अधिकरण में ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जैसा कि राज्य शासन समय-समय पर विनिश्चित करे, किन्तु किसी भी समय 02 सदस्यों से कम नहीं होंगे.”</p> <p>(दो) उप-धारा (3) के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-</p> <p>“(3क) किन्ही कारणों से अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, राज्य शासन, सदस्यों में से किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा.”</p> |

अटल नगर, दिनांक 18 नवम्बर 2020

क्रमांक 8750/डी. 164/21-अ/प्रारू./छ. ग./20.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 18-11-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 23 of 2020)

THE CHHATTISGARH RENT CONTROL (AMENDMENT) ACT, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|-------|--|--|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Rent Control, (Amendment) Act, 2020. | Short title, extent and commencement. |
| | (2) | It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | In the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012), in Section 6,- | Amendment of Section 6. |
| | (i) | for sub-section (2) and (3), the following shall be substituted, namely :- | |
| | “(2) | The State Government shall appoint the retired High Court Judge or retired District Judge as Chairman of the Rent Control Tribunal. | |
| | (3) | The Tribunal shall have such other members as the State Government may decide from time to time, but at any time, there shall be no less than 02 members.” | |
| | (ii) | after sub-section (3), the following shall be inserted, namely :- | |
| | “(3A) | If the post of Chairman remains vacant for any reason, the State Government may appoint any member from the members as Executive Chairman.” | |